

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] No. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

# कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.िन.357(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पिठत धारा 35 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम (समूह 'ग' और समूह 'घ' प्रकींण पद) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पर्दों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वें होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4 **निरर्हता** : यह व्यक्ति -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकती है।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.** जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते है।
- 6. **व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

1966 GI/2015 (1)

पद का नाम  पद संख्या  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (6)  (7)  (7)  हाइकर (नाआरण क्षेत्रीय क्षेत्र में बेतन सह ते हैं है । । , वागू नहीं हो हो । । । । । । । । । । । । । । । । ।		अनुसूची						
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7) (2015) हुइदर (साधारण केंद्रीय तेवा, समृह मंद्रीय तेवा, स	पद का नाम	पद संख्या		वेतन बैंड और ग्रेड		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा		
तर्गाह करर प्राप्त करर प्राप्त करर प्राप्त करा के से प्राप्त के से प्राप्त के से प्राप्त के से प्राप्त के स्वाप्त के से स्वाप्त के स्वाप्त के से स्वाप्त के से स्वाप्त के से स्वाप्त के से स्वाप्त के स्वाप्त	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
अभ्यर्थियों के वि	1. स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण	15* (2015)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	(4) वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन	(5)	(6)  18 से 27 वर्ष के बीच  (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों और जिला न्यायालयों जैसके अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए नियत करने के लिए न		
						और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे
शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं	अवधि, यदि कोई हो ।	होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा	हा।	तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
	में लागू होंगी।		भरी जाने वाली रिक्तियों की
	ન લાયુ ફાવા !		प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :-	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न
(i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमान्य चालन			हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या
अनुज्ञप्ति रखता हो।			आमेलन द्वारा
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो ।			
(iii) मोटर कार चालन का तीन वर्ष का अनुभव			
(iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास			
वांछनीय :-			
(i) गृह रक्षक या सिविल स्वंय सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा			
टिप्पण :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों			
के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के			
विवेकानुासर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित			
जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है,			
जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह			
राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के			
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
जाएगा।	N/4·II	लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया
		जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
(i) प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियमित सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद के (समूह 'ग') कर्मचारियों में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता के निर्धारण हेतु चालन परीक्षण पर आधारित मोटर कार के लिए चालन अनुज्ञप्ति रखते हों जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार के सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद का पद धारण किए हुए अधिकारियों जो निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करते हैं, अर्थात् :-  (i) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालत अनुज्ञप्ति रखते हैं।  (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो  (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो  (iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास हो  भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन	समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - अध्यक्ष  2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य  3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य  नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने		

वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और	
जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे	
व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर	
रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त	
किया जाना है : तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने	
दिया जा सकता है:	
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के	
उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2)	15* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध	लागू नहीं होता ।
जिनकी साधारण श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा है।	में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
<b>टिप्पण 1 :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके	गया हो <b>- अध्यक्ष</b>	
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट	
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	किया गया हो	
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट	
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली	किया गया हो	
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की		
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		
<b>टिप्पण 2</b> :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा,		
01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे		
केद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		
नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग		
की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड		
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार	18* (2015)	साधारण केंद्रीय	वेतन बैंड – 1, 5200-	अचयन	लागू नहीं होता
ड्राइवर (श्रेणी 1)	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2), जिनकी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	लागू नहीं होता ।
श्रेणी-2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा है ।	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	
<u>टिप्पण 1 :-</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	होंगे :-	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	नामनिर्दिष्ट किया गया हो	
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	नामनिर्दिष्ट किया गया हो - <b>सदस्य</b>	
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की	नामनिर्दिष्ट किया गया हो - <b>सदस्य</b>	
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		
टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा,		
01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे		
केद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		
नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग		
की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड		
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष	3* (2015) * कार्यभार के	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
श्रेणी)	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अराजपत्रित,	+ ग्रेड वेतन 4200		
		9	रुपए		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) जिनकी	समूह 'ख्' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	लागू नहीं होता ।
श्रेणी-। में छह वर्ष की नियमित सेवा है ।	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
<b>टिप्पण 1 :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	निम्नलिखित होंगे :-	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	नामर्दिष्ट किया गया हो	
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	नामर्दिष्ट किया गया हो	
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली	जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की	नामर्दिष्ट किया गया हो	
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		
<b>टिप्पण 2 :</b> - प्रोन्नति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की		
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा,		

01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सवार हरकारा	7* (2015)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं, के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्य चालन	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने	आमेलन या
अनुज्ञप्ति रखते हों।		वाले व्यक्तियों के लिए	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का		दो वर्ष	जिसके न हो सकने
अनुभव ।			पर सीधी भर्ती द्वारा
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो।			
टिप्पण :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए			
जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी, चयन आयोग के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की			
दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम			
पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित			
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय सरकार या राज्य		लागू नहीं होता ।
सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
जिला न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के	1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो	
नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो मोटर साइकिल	अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	

या ओटोरिक्शा चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किए चालन परीक्षण के आधार पर वेतन बैंड-1+ग्रेड वेतन 1800 रुपए में पदधारण किए हुए हैं और निम्नलिखित अहर्ताएं रखते हैं अर्थात्:-

- (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों।
- (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव ।
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो ।

मूतपूर्व सैनिकों के लिए: - प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है: तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) नामनिर्दिष्ट किया गया हो - अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. गेस्टेनर ऑपरेटर	(८) 12* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वितन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। उपसालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहांख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले	आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा
बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य ।		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	जिसके न हो सकने पर सीधी
अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से			भर्ती द्वारा
कम एक वर्ष का अनुभव			

(11)	(12)	(13)
प्रितिनयुक्ति या आमेलन:-  (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  (ii) जो वेतन बैंड-। 5200-20200 रुपए के वेतनमान + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है; या  (iii) जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के नियमित समूह 'ग' कर्मचारी है; और  (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य। अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो	समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - अध्यक्ष  2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो, अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य  3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य  नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य	` '

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. फोटोकॉपियर	18* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने	आमेलन या प्रतिनियुक्ति
बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य		वाले व्यक्तियों के लिए	द्वारा जिसके न हो सकने पर
तथा उसके साथ-साथ फोटो कॉपी मशीन		दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
के हैंडलिंग में अनुभव या प्रवीणता हो			

(11)(12)(13)समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में लागू नहीं होता। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च्तम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-न्यायालय के समूह 'ग' कर्मचारियों और केंद्रीय 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारी जो वेतन बैंड केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - अध्यक्ष - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो रुपए में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित अहर्ताएं रखते है, अर्थात् :-किया गया हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य तथा उसके साथ अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट फोटोकॉपी मशीन के हैंडलिंग में प्रवीणता या किया गया हो - सदस्य अनुभव हो ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. बहुकार्य कर्मचारीवृंद	419* (2015)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता ।
	जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	1. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष,	
	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो <b>- अध्यक्ष</b>	
	2. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक	
	अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो - सदस्य	
	3. केंद्रीय सरकार के विभाग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के	
	अधिकारी - सदस्य	

[फा. सं. ए-12011/2/2011-ए.टी.] अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

#### (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015

- **G.S.R.** 357 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 35 read with sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Posts in the Central Administrative Tribunal, namely:
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications.-** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of said posts in the Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Chairman, Central Administrative Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	15* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1900	Not applicable	Between 18 and 27 years  (relaxable in the case of employees of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Courts and the District Courts including the employees of the Central Administrative Tribunal up to the age of 40 years).  Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and
					Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: -  (i) Possessing a valid Driving Licence for Motor Car;  (ii) Knowledge of Motor Mechanics;  (iii) Experience of driving a Motor Car for at least three years;  (iv) Pass in Matriculation or equivalent  Desirable: -  (i) Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.  Note The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment failing which by deputation or absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
(i) Deputation or Absorption From amongst the regular Dispatch Rider or Multi Tasking Staff (Group 'C') employees in the Central Administrative Tribunal who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or Multi Tasking Staff Group 'C' employees in other Ministries of the Central Government who fulfill the following qualifications, namely:- (i) Possessing a valid Driving Licence for Motor Car. (ii) Knowledge of motor mechanics; (iii) Experience of driving a Motor Car for at least three years; (iv) Pass in Matriculation or equivalent.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of —  1. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman 2. Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member 3. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member	Not Applicable.
For Ex-servicemen on Deputation or reemployment:  The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).		

	(1)		(2)			(3)		(4)	(5)	(6)
2.	Staff	Car	15*		General	Central	Pay	band-1	Non-selection	Not applicable
Dr	ver (Gra	de II)	(2015)		Service	Group 'C',	Rs.520	0-20200		
			*Subject	to	Non-Gaz	etted, Non-	with g	rade pay of		
			variation		Ministeri	al	Rs.240	0/-		
			dependent	on						
			workload.							

(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable
Committee (for considering promotion)	
consisting of –	
1. Registrar, Central Administrative	
Tribunal nominated by the Chairman,	
Central Administrative Tribunal -	
Chairman	
<b>2.</b> Joint Registrar, Central	
Administrative Tribunal nominated by	
the Chairman, Central Administrative	
Tribunal - <b>Member</b>	
<b>3.</b> Deputy Registrar, Central	
Administrative Tribunal to be nominated	
by the Chairman, Central Administrative	
Tribunal - <b>Member</b>	
	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of –  1. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman  2. Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member  3. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative

	(1)		(2)		(3)	)		(4)	(5)	(6)
3.	Staff	Car	18* (2015)		General	Central	Pay	band-1	Non-selection	Not applicable
Dri	ver		*Subject	to	Service	Group	Rs.520	0-20200		
(Gr	ade I)		variation		'C',	Non-	with gr	ade pay of		
			dependent	on	gazetted,	Non-	Rs.280	0/-		
			workload		ministeria	ıl				

based on the recommendations of that Commission

(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Staff Car Driver (Grade II) with five years regular	Committee (for considering of	
service in the grade.	confirmation) consisting of. –	
<b>Note 1</b> Where juniors who have completed their	1. Registrar, Central Administrative Tribunal	
qualifying or eligibility service are being	nominated by the Chairman, Central	
considered for promotion, their seniors shall also	Administrative Tribunal - Chairman	
be considered provided they are not short of the	2. Joint Registrar, Central Administrative	
requisite qualifying or eligibility service by more	Tribunal nominated by the Chairman, Central	
than half of such qualifying or eligibility service or	Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
two years, whichever is less.	3. Deputy Registrar, Central Administrative	
<b>Note 2</b> For the purpose of computing minimum	Tribunal to be nominated by the Chairman,	
qualifying service for promotion, the service	Central Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
rendered on a regular basis by an officer prior to		
the 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the		
revised pay structure based on the Sixth Central		
Pay Commission recommendations has been		
extended, shall be deemed to be service rendered		
in the corresponding grade pay or pay scale		
extended based on the recommendations of that		
Commission.		

	(1)		(2)		(3	)	(4)	(5)	(6)
4.	Staff	Car	3*	(2015)	General	Central	Pay band-2, Rs.	Non-selection	Not applicable
Dri	ver		*Subject	to	Service	Group	9300-34800/-		
(St	pecial G	rade)	variation		'В',	Non-	with grade pay of		
			dependent	on	Gazetted,	Non-	Rs. 4200/-		
		workload		ministeria	al				

(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	

(11)	(12)	(13)
Promotion: -	Group 'B' Departmental Promotion	Not applicable
Staff Car Driver ( Grade I ) with six years	Committee (for considering of confirmation)	
regular service in the grade	consisting of: –	
<b>Note 1</b> Where juniors who have completed	1. Registrar, Central Administrative Tribunal	
their qualifying or eligibility service are being	nominated by the Chairman, Central	
considered for promotion, their seniors shall	Administrative Tribunal - Chairman	
also be considered provided they are not short	2. Joint Registrar, Central Administrative	
of the requisite qualifying or eligibility	Tribunal nominated by the Chairman, Central	
service by more than half of such qualifying	Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
or eligibility service or two years, whichever	3. Deputy Registrar, Central Administrative	
is less.	Tribunal to be nominated by the Chairman,	
<b>Note 2</b> For the purpose of computing	Central Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
minimum qualifying service for promotion,		
the service rendered on a regular basis by an		
officer prior to the 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the		
date from which the revised pay structure		
based on the Sixth Central Pay Commission		
recommendations has been extended, shall be		
deemed to be service rendered in the		
corresponding grade pay or pay scale		
extended based on the recommendations of		
that Commission.		
1	1	i

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Dispatch Rider	7* (2015)	General	Pay band-I	Not	Between 18 and 27 years
	*Subject	Central	Rs.5200-	applicable	(relaxable in the case of employees of the
	to	Service	20200/-		Central Government or State
	variation	Group	with grade		Governments or Supreme Court or High
	dependent	'C', Non-	pay of		Courts and the District Courts including
	on works	Gazetted,	Rs.1900/-		the employees of the Central
		Non-			Administrative Tribunal up to the age of
		ministerial			40 years).
					<b>Note</b> The crucial date for determining
					the age limit shall be the closing date for
					receipt of applications from candidates in
					India (and not the closing date prescribed
					for those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-
					Division of Chamba district of Himachal
					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands
					and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Possession of a valid Driving Licence for	Not applicable	Two years for	By absorption or deputation
Motor Cycle or Auto Rickshaw.		direct recruits	failing which by direct
(ii) Two years experience in driving Motor			recruitment
Cycle or Auto Rickshaw.			
(iii) Pass in Matriculation or equivalent of any			
recognized Board or Institution.			
<b>Note</b> The qualification regarding experience			
is relaxable at the discretion of the competent			
authority in the case of candidates belonging to			
the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at			
any stage of selection the competent authority			
is of the opinion that the sufficient number of			
candidates with requisite experience are not			
likely to be available to fill up the vacancy			
reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption.	Group 'C' Departmental	Not applicable
From amongst the regular Group 'C' employees of	<b>Promotion</b> Committee (for	
Central Government or State Government or Supreme	considering of confirmation)	
Court or High Court or District Courts and Central	consisting of. –	
Administrative Tribunal holding post in pay band- I with	1. Registrar, Central Administrative	
grade pay of Rs. 1800/- on the basis of the result of a	Tribunal nominated by the Chairman,	
Driving Test to assess the competence to drive Motor	Central Administrative Tribunal -	
Cycle or Auto Rickshaw and possessing following	Chairman	
qualifications, namely:-	<b>2.</b> Joint Registrar, Central	
(i) Possession of a valid Driving Licence for Motor	Administrative Tribunal nominated	
Cycle or Auto Rickshaw.	by the Chairman, Central	
(ii) Two years experience in driving Motor Cycle or	Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
Auto Rickshaw	<b>3.</b> Deputy Registrar, Central	
(iii) Pass in Matriculation or equivalent of any	Administrative Tribunal to be	
recognized Board or Institution.	nominated by the Chairman, Central	
	Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
For Ex-servicemen on Deputation or re-employment		
The Armed Forces Personnel due to retire or who are to		
be transferred to reserve within a period of one year and		
having the requisite experience and qualifications		
prescribed shall also be considered. Such persons would		
be given deputation terms up to the date on which they		
are due to release from the Armed Forces; thereafter		
they may be continued on re-employment. (The period		
of deputation including the period of deputation in		
another ex-cadre post held immediately preceding this		
appointment in the same or some other organization or		
Department of the Central Government shall ordinarily		
not exceed three years).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Gestetner	12* (2015)	General	Pay band-1	Not applicable	Between 18 and 27 years
Operator	*Subject to	Central	Rs.5200-		(relaxable upto by 40 years
	variation	Service Group	20200/- with		in the case of employees of
	dependent	'C', Non-	grade pay of		the Central Government or
	on	Gazetted, Non-	Rs.1900/-		State Governments or
	workload	Ministerial			Supreme Court or High
					Courts and the District
					Courts including the
					employees of the Central
					Administrative Tribunal).

		Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh,
		Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board. At least one year experience in operating duplicating machine.	Not applicable	Two years for direct recruits	By absorption or deputation failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
By Absorption or deputation:  (a) (i) Persons holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Court and District Courts; or (ii) Posts in the scale of PB-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800/- with three years regular service in the grade; or (iii) Regular Group 'C' employees of the Central Administrative Tribunal in posts in PB-I with grade pay of Rs. 1800/-; and (b) Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board. At least one year experience in operating duplicating machine.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –  1. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman 2. Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member 3. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Photocopier	18* (2015)	General	Pay band-I,	Not	Between 18 and 27 years
	*Subject to	Central	Rs. 5200-	applicable	(relaxable up to 40 years in the case of
	variation	Service	20200/-		employees of the Central Government or
	dependenton	Group 'C',	with grade		State Governments or Supreme Court or
	workload	Non-	pay of		High Courts and the District Courts
		Gazetted,	Rs.1900/-		including the employees of the Central
		Non-			Administrative Tribunal).
		ministerial			<b>Note.</b> - The crucial date for determining
					the age limit shall be the closing date for
					receipt of applications from candidates in
					India (and not the closing date prescribed
					for those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti district and Pangi Sub
					Division of Chamba district of Himachal

			Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent	Not applicable	Two years for direct	By absorption or deputation
from a recognized university or		recruits	failing which by direct
Board with proficiency or			recruitment.
experience in handling			
photocopying machines.			

(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation from	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable
amongst Group 'C' employees of the	(for considering of confirmation) consisting of –	
Central Government or State Government	1. Registrar, Central Administrative Tribunal	
or High Court and District Courts and	nominated by the Chairman, Central	
employees of the Central Administrative	Administrative Tribunal - Chairman	
Tribunal	2. Joint Registrar, Central Administrative	
with 3 years regular service in the scale	Tribunal nominated by the Chairman, Central	
of pay band-1, Rs.5200-20200/- with	Administrative Tribunal - <b>Member</b>	
grade pay of Rs.1800/- and having	3. Deputy Registrar, Central Administrative	
following qualifications, namely:-	Tribunal to be nominated by the Chairman,	
Matriculation pass or equivalent from a	Central Administrative Tribunal - Member	
recognized university or Board with		
proficiency or experience in handling		
photocopying machines.		

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi	419*	General	Pay band-I	Not applicable	Between 18 and 27 years
Tasking Staff	(2015)	Central	Rs. 5200-		(relaxable upto 40 years for
	*Subject to	Service	20200/- with		Government Servants in
	variation	Group 'C',	grade pay of		accordance with the orders issued
	dependent	Non-	Rs.1800/-		by the Central Government from
	on workload	Gazetted,			time to time.
		Non			Note The crucial date for
		Ministerial			determining the age limit shall be
					the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh Division
					of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti district and
					Pangi Sub Division of Chamba
					district of Himachal Pradesh,
					Andaman and Nicobar Islands
					and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognized university or Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –  1. Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Chairman  2. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Member	Not applicable
	3. Scheduled Castes or Scheduled Tribes Officers from the Central Government Department- Member	

[F.No.A-12011/2/2011-AT] ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.िन. 358(अ)-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रर्कीण पद) भर्ती नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वें होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति :-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

<b>ગ</b> નુત્ત્વા								
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1. अनुभाग अधिकारी या न्यायालय अधिकारी	88* (2015)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए और 4800 रुपए ग्रेड वेतन की श्रेणी में चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			